न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/63

1. श्रीलाल आयु 50 वर्ष आत्मज नन्दा जाति कीर ।
2. किशन आयु 40 वर्ष आत्मज श्री गोमदा जाति कीर निवासीगण कीरों का झोपडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. रतन लाल आयु 45 साल आत्मज श्री श्रवण जाति कीर ।
2. हरबाई आयु 40 साल पत्नी रामफल जाति कीर निवासीगण कीरों का झोपडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. आकाश आयु 10 वर्ष आत्मज श्री रामस्वरूप जाति कीर नाबालिग जरिये वली माता हरबाई आयु 40 साल पत्नी रामफूल जाति कीर निवासीगण कीरों का झोपडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. सौभाग बाई आयु 22 वर्ष पुत्री रामस्वरूप जाति कीर ।
5. पुष्पा बाई आयु 30 वर्ष पत्नी श्योजी जाति कीर निवासी कीरों का झोपडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. राहुल 10 वर्ष आत्मज श्री श्योजी जाति कीर नाबालिग जरिये वली माता पुष्पा बाई आयु 30 वर्ष पत्नी श्योजी जाति कीर निवासी कीरों का झोपडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. सोसर बाई आयु 50 वर्ष पुत्री श्रवण जाति कीर ।
8. गुलाब बाई आयु 48 वर्ष पुत्री श्रवण जाति कीर ।
9. मनभर बाई आयु 30 वर्ष पुत्री श्रवण जाति कीर ।
10. रामलाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री सावंला जाति कीर ।
11. कजोड आयु 40 वर्ष आत्मज श्री सावंला जाति कीर ।
12. नारायण आयु 35 वर्ष आत्मज श्री सावंला जाति कीर ।
13. पार्वती बाई आयु 38 वर्ष पुत्री श्री सावंला जाति कीर ।
14. तीज बाई आयु 30 वर्ष पुत्री श्री सावंला जाति कीर निवासीगण कीरों का झोपडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री संजय जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिनी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 14 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 92 ए के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या नया 374 पुराना 341 में कुल किता 07 की रकबा 03 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि श्रवण व सांवला आत्मज जगन्नाथ जी के खाते में दर्ज थी । मृतक श्रवण जी के चार पुत्र थे जिनमें से रामफूल, शोजी व जगदीश का देहावसान हो यगा । वादीगण क्रम 2 से 6 मृतक रामफूल व शोजी के वारिसान हैं । वादग्रस्त आराजी में वादीगण सहखातेदार दर्ज हैं । उनके पिता का देहावसान होने के बाद वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रतिववादीगण का इस आराजी में कोई हक अधिकार नहीं है । प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 294 की रकबा 05 बिस्वा भूमि पर उनके कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते हैं और कब्जा करने पर आमादा हैं । ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशया की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 294 की रकबा 05 बिस्वा भूमि पर वादीगण को फसल बोने से हांकने जोतने से नहीं रोके न ही उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करे और न ही वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करे । यदि दौराने वाद उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण कब्जा कर ले जो वापस वादीगण को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2015 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए बिना शहादत लिये अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई और न ही पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा हुआ था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की जानकारी होने पर नकल प्राप्त करने का आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2015 को पेश किया गया तथा दिनांक 06.07.2015 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण के द्वारा एक दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया

था और प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की थी । प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया था और जवाबदावे के साथ काउन्टर क्लेम भी पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दावे वादीगण डिक्री किया है जो विधि –विरूद्ध है । प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में शहादत का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पत्रावली कायमी तनकीयात में लम्बित थी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के रेस्पोडेन्टगण खातेदार कृषक हैं उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश करने का अधिकार है । प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश किया गया था जिसमें दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई और उभय पक्षीय बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.06.2015 के अनुसार तनकी कायम की गई और उसी दिन बहस सुनकर दिनांक 23.06.2016 को निर्णय पारित किया गया है जबकि तनकीयात करने के उपरान्त सीपीसी की पालना में उभय पक्षकारान को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है और पेश किये गये दस्तावेजात को प्रदर्शित भी नहीं करवाया गया है । यही नहीं प्रतिवादी अपीलान्टगण के काउन्टर क्लेम पर भी कोई तनकी कायम नहीं की गई है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से पेश किये गये काउन्टर क्लेम के आधार पर भी तनकीयात कायम कर पक्षकारान को तनकीयात पर साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/10/19

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा